

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 695/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

टाटा कॅपिटल हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड पता ग्यारवीं मंजिल टावर ए. पेनिनसुला बिजनेस पार्क  
गणपतराव कदम मार्ग लोअर पारेल मुम्बई

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1 दिनेश कुमार जैन पुत्र श्री कपूर चंद जैन

पता- फ्लैट/यूनिट एस-2, सेकिण्ड फ्लोर, महाराजा प्राईम, स्थित प्लॉट नम्बर-134, विवेक विहार  
योजना, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर

एवं फ्लैट नम्बर 526/162, ब्रह्मपुरी रोड, जयपुर

एवं 221, मनिहारों का रास्ता, किशनपोल, जयपुर

एवं एकता पब्लिशिंग हाउस, 526/162, ब्रह्मपुरी रोड, नियर सैनी वाटर सप्लायर, जयपुर

2 एकता जैन पत्नी श्री दिनेश कुमार जैन

पता- फ्लैट/यूनिट एस-2, सेकिण्ड फ्लोर, महाराजा प्राईम, स्थित प्लॉट नम्बर-134, विवेक विहार  
योजना, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर

एवं फ्लैट नम्बर 526/162, ब्रह्मपुरी रोड, जयपुर

एवं 221, मनिहारों का रास्ता, किशनपोल, जयपुर

एवं एकता पब्लिशिंग हाउस, 526/162, ब्रह्मपुरी रोड, नियर सैनी वाटर सप्लायर, जयपुर

3. हितेष जैन पुत्र श्री दिनेश कुमार जैन

पता- फ्लैट/यूनिट एस-2, सेकिण्ड फ्लोर, महाराजा प्राईम, स्थित प्लॉट नम्बर-134, विवेक विहार  
योजना, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर

एवं फ्लैट नम्बर 526/162, ब्रह्मपुरी रोड, जयपुर

एवं 221, मनिहारों का रास्ता, किशनपोल, जयपुर

एवं एकता पब्लिशिंग हाउस, 526/162, ब्रह्मपुरी रोड, नियर सैनी वाटर सप्लायर, जयपुर

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

**The application under section 14 of The  
Securitisation and Reconstruction of Financial  
Assets and Enforcement of Security Interest  
Act, 2002.**

उपस्थित :- श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 30.06.2023

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर



1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.10.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री दिनेश कुमार जैन के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट/यूनिट एस-2, सेकिण्ड फ्लोर, महाराजा प्राईम, स्थित प्लॉट नम्बर-134, विवेक विहार योजना, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर कुल क्षेत्रफल 1215 वर्ग फीट बन्धक रख कर 38,25,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 09.02.2023 को रजिस्टर्ड/कोरियर से नोटिस जारी किया। उक्त नोटिस दी इण्डियन एक्सप्रेस व सीमा संदेश अखबारों में साया भी करवाया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मग ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 38,25,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण एम.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 41,18,867/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 09.02.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री दिनेश कुमार जैन के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट/यूनिट एस-2, सेकिण्ड फ्लोर, महाराजा प्राईम, स्थित प्लॉट नम्बर-134, विवेक विहार योजना, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर कुल क्षेत्रफल 1215 वर्ग



7-0  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

फीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
6. आदेश आज दिनांक 30.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

५५०  
(प्रकाश राजपुरोहित)  
**जिला मजिस्ट्रेट**  
(कलेक्टर) जयपुर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर (राज.)  
कमांक/न्यायालय DM/..... दिनांक.....  
उक्त मुल आदेश की छाया प्रति प्रार्थी  
केक व अधीक्षक आरक्षी.....  
की पालनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।  
आज्ञा से

सेडर  
जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर